(MIJ) 2023, Vol. No. 9, Special Issue **e-ISSN: 2454-924X; p-ISSN: 2454-8103**

वर्तमान परिपेक्ष्य में महिलाओं की बढ़ती जिम्मेदारी: एक अध्ययन

प्रोफेसर (डॉ) रंजना कुलश्रेष्ठ
विभागाध्यक्ष (हिन्दी) ठा० बीरी सिंह महाविद्यालय टूण्डला फिरोजाबाद पिन- 283204

Increasing Responsibility of Women in Present Context: A Study[1]

Prof (Dr) Ranjana Kulshreshtha
Thakur Biri Singh College, Tundla, Firozabad, India

"पढ़ने की मुझे मनाही है सो पढ़ना है
मुझ में भी तरुणाई है सो पढ़ना है
सपनों ने ली अंगड़ाई है सो पढ़ना है
कुछ करने की मन में आई है सो पढ़ना है
क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है

मुझे दर-दर नहीं भटकना है सो पढ़ना है
मुझे अपने पाँवों चलना है सो पढ़ना है
मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है
मुझे अपना आप ही गढ़ना है सो पढ़ना है
क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है "1

भारतीय समाज की नारी की स्थिति को बखूबी बयां करती लेखिका कमला भसीन की ये पंक्तियाँ पूरे समाज की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती हैं। भले ही आज हम यह कहकर अपनी पीठ थपथपा लें कि आजादी के 75 सालों में हमारी महिलाएँ चाँद पर पहुँच गई हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, ओलंपिक में पदक जीत रही

[1] *How to cite the article:* Kulshreshtha R. (2023), Increasing Responsibility of Women in Present Context: A Study, *Multidisciplinary International Journal*, Vol 9 (Special Issue), 67-71

Presented at 2nd International Conference on Research in Multidisciplinary Studies (ICRMS-2023)
Held on 06th August, 2023 through Google Meet

हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ चला रही हैं या राष्ट्रपति बनकर देश की बागडोर संभाल रही हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर देखें तो यह संख्या महिलाओं की आबादी का अंशमात्र ही है। हमारे समाज की महिलाओं का एक बड़ा तबका आज भी सामाजिक बंधनों की बेड़ियों को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया है; उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है या यूँ कहें कि हमारा पितृसत्तात्मक समाज उन्हें जन्म से ही ऐसे साँचे में ढालने लगता है कि वे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिये पुरुषों का सहारा ढूँढती हैं। वहीं यह भी सत्य है कि "जब-जब कोई स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है तब-तब न जाने कितने रीति-रिवाजों, परंपराओं, पौराणिक आख्यानों की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है।" इसलिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर भारत में शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक स्तर पर महिलाओं ने विपरीत परिस्थितियों में भी अब तक कितनी दूरी तय की है-

(1)शिक्षा के क्षेत्र में- आँकड़ों पर नजर डालें तो, साल 1951 में भारत की साक्षरता दर केवल 18.3 फीसदी थी जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर 9 फीसदी से भी कम थी। वहीं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के डाटा के अनुसार साल 2021 में देश की औसत साक्षरता दर 77.70 प्रतिशत थी जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 84.70 प्रतिशत, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 70.30 प्रतिशत थी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के बाद से अब तक महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है।2

(2)आर्थिक क्षेत्र में महिलाएं-आज भी महिलाओं की अधिकांश समस्याओं का कारण आर्थिक रूप से परनिर्भरता है। यह बेहद चिंताजनक है कि देश की कुल आबादी में 48 फीसदी महिलाएँ हैं जिसमें से मात्र एक तिहाई महिलाएँ रोजगार में संलग्न हैं। इसी वजह से भारत की जीडीपी में महिलाओं का योगदान केवल 18 फीसदी है।3

यदि परिवार के भीतर और बाहर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों को समाप्त कर पुरुषों के समान अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने के अवसर प्रदान किए जाएं तो अन्य महिलाएँ भी गीता गोपीनाथ, इंद्रा , किरण मजूमदार शॉ की तरह सशक्त होंगी, साथ ही देश भी आर्थिक मोर्चे पर तेजी से प्रगति करेगा।

(3)राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी-इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के समय में महिलाएँ घर की चारदीवारी से निकलकर सत्ता की बागडोर संभाल रही हैं, और न केवल संभाल रही हैं बल्कि कुशल संचालन कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ममता बनर्जी, प्रियंका

गाँधी, स्मृति ईरानी, मेनका गाँधी, मायावती को देखा जा सकता है। लेकिन देश में महिलाओं की आबादी के अनुसार देखें तो राजनीति में महिलाओं की संख्या अभी भी काफी कम है। भारतीय संसद में केवल14 फीसदी महिलाएँ हैं, जबकि संसद में महिलाओं की वैश्विक औसत भागीदारी 25 फीसदी से ज़्यादा है। इसके अलावा, ग्रामीण अंचलों में पंचायत स्तर पर अधिकांश महिलाओं को केवल मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया जाता है यानी चुनाव तो महिला जीतती है लेकिन सत्ता से संबंधित सभी निर्णय उसके परिवार के पुरुष सदस्य करते हैं।

(4)न्यायिक क्षेत्र में महिलाएं-देश के सर्वोच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों में मौजूद न्यायाधीशों में महज 11 प्रतिशत महिलाएँ हैं। समय की माँग है कि अब महिलाएँ जाग्रत हों और अपनी क्षमता को पहचान कर, परंपरागत रूढ़ियों को खंडित कर देश की मुख्यधारा में अधिक से अधिक योगदान दें।4

(5)रक्षा क्षेत्र में महिलाएं-

पिछले कुछ समय में भारत की सशस्त्र बलों में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। केंद्र सरकार भी सेनाओं में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। इसमें बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) प्राप्त महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सभी दस प्रभागों में स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना में स्वीकृत पद लिंग तटस्थ हैं। इसके साथ ही सरकार ने इन प्रयासों में और तेजी लाते हुए भारतीय सेना में महिलाओं के लिए खाली सभी रिक्त पदों को भर लिया है। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं…

सशस्त्र बलों में महिलाओं करना एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है और भारतीय सेना द्वारा नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जाती है। वर्तमान में, महिलाओं को दस प्रभागों में भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के अलावा इंजीनियरों की कोर, सिग्नल की कोर, सेना वायु रक्षा, सेना सेवा कोर, सेना आयुध कोर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स की कोर, सेना विमानन कोर, खुफिया कोर, जज एडवोकेट जनरल शाखा और सेना शिक्षा कोर डॉक्टरों और सैन्य नर्सों के रूप में जो केवल महिलाओं की भर्ती की जाती है। भारतीय सेना में महिलाओं के लिए लगातार नए रास्ते भी खुल रहे हैं, जैसे एसएससी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना, एनडीए में महिला कैडेटों को शामिल करना, जेसीओ/ओआर के रूप में महिलाओं की भर्ती करना मुख्य रूप से शामिल है।

भारतीय नौसेना में अधिकारियों के रूप में महिलाओं की भर्ती वर्ष 1991 में शुरू हुई थी। तब से भारतीय नौसेना ने धीरे-धीरे एनडीए के माध्यम से प्रेरण सहित सभी शाखाओं को महिला अधिकारियों के लिए खोल दिया है। इसके अलावा, पहली बार महिलाओं को भी अग्निपथ योजना के तहत नौसैनिकों की प्रविष्टि के लिए भर्ती किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के बड़े प्रयासों के तहत 20% रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं हैं।

भारतीय वायुसेना में अधिकारियों की भर्ती लिंग तटस्थ है। भारतीय वायुसेना की सभी विंग्स में महिला अधिकारियों को शामिल किया जाता है। IAF सेवा में करियर के अवसरों को प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विशेष प्रचार अभियान के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है। जुलाई 2017 से आगे एसएससी (महिला) उड़ान भरने के लिए एनसीसी विशेष प्रविष्टि के माध्यम से एक उद्घाटन भी प्रदान किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा 2015 में शुरू की गई सभी लड़ाकू भूमिकाओं में महिला अधिकारियों को शामिल करने की योजना को अब एक स्थायी योजना के रूप में नियमित कर दिया गया है। इस तरह भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारियों को बिना किसी प्रतिबंध के सभी लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाएं शामिल हो रही हैं।

महिलाओं को लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल करने का निर्णय 2015 में लिया गया। लड़ाकू पायलटों को युद्धाभ्यास करते समय विपरीत गतिविधियों का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने की जरूरत है और करीबी मुकाबले की स्थिति में दुश्मन को मार गिराने के लिए पर्याप्त कुशल होना चाहिए। भारतीय वायुसेना में परिवहन और हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली महिला पायलटों ने पर्याप्त रूप से अपनी योग्यता साबित कर दी है और किसी भी तरह से वे अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम सक्षम नहीं हैं। इसका प्रमाण तब मिला जब 2018 में अवनि चतुर्वेदी ने अकेले मिग 21 विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं के एंट्री को मंजूरी दे दी है। इससे पहले महिलाएं सेना की तीनों अंगों में अधिकारी के तौर पर तो शामिल हो सकती थीं लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पर शामिल होती थी। इस फैसले से सरकार ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के साथ साथ एनडीए का रास्ता भी खोल दिया है।5

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में एक लंबा रास्ता तय किया है, परंतु अभी भी मंजिल से मीलों दूर हैं। तेजी से भागते समय के इस पहिये के साथ हमारी रफ्तार बहुत धीमी है, और इस रफ्तार को तभी

बढ़ाया जा सकता है जब भारतीय समाज पितृसत्तात्मक मानसिकता से ऊपर उठकर महिलाओं को भी पुरुषों के समान बराबरी के अधिकार प्रदान करेगा। हालाँकि हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं लेकिन यहाँ का समाज अपने नियमों के अनुसार, महिलाओं को संचालित करता है, जिसमें बदलाव की सख्त ज़रूरत है।

साथ ही, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिये कि हमें नारीशक्ति का उद्धारक नहीं, वरन् उनका सहायक बनना है। भारतीय महिलाएँ भी संसार की अन्य महिलाओं की तरह अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता बस इतनी है कि उन्हें उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाएँ; उनका वस्तुकरण करने की बजाय उन्हें मनुष्य समझा जाए। बेहतरीन कवयित्री अनामिका ने स्त्रियों को गहराई से समझने की गुजारिश करते हुए लिखा है-

सुनो, हमें अनहद की तरह
और समझो जैसे समझी जाती है
नई-नई सीखी हुई भाषा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची-

1. चकमक पत्रिका, एकलव्य फाउंडेशन, दिसम्बर2021
2. https://www.census2011.co.in/literacy.php
3. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस जुलाई 2021-जून 2022)
4. जनसत्ता,27 अप्रैल2023
5. pib,17 फरवरी2020

REFERENCES

1. Chakmak Magazine, Eklavya Foundation, December 2021
2. https://www.census2011.co.in/literacy.php
3. Periodic Labor Force Survey (PLFS July 2021-June 2022)
4. Jansatta, 27 April 2023
5. pib, 17 February 2020